Regarding provision of reservation and caste census for BC-A category on the lines of SC/ST-Laid

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा **(**रोहतक**) :** लोक सभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले परिसीमन के बाद सामाजिक और राजनैतिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि BC- A वर्ग के लिए भी SC/ST की तर्ज पर उनकी जनसख्या के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है । ताकि उसी के आधार पर BC- A वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जा सके । जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी राजनैतिक सहभागिता बढ़ सके ।

हरियाणा में जहां से मैं चुनकर आया हूँ देखा जाता है कि बीसी- ए वर्ग मेहनतकश और हुनरमंद वर्ग है । समाज के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है । बीसी- ए वर्ग की संख्या काफी मानी जाती है और ये हर गाँव में रहते हैं, लेकिन किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में इनकी संख्या इतनी नहीं होती कि वे अपने बलबूते पर लोकसभा या विधानसभा में चुनकर जा सकें । इसलिए इन्हें आरक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है । बीसी- ए के तहत पारंपरिक शिल्पकार, दस्तकार, कलाकार आदि आते हैं । बीसी- ए को दूसरे कई प्रदेशों में अति-पिछड़ा वर्ग के तौर पर जाना जाता है ।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री जी से मेरी मांग है कि परिसीमन के बाद लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जातिगत जनगणना के आधार पर अति पिछड़े वर्ग (बीसी- ए) को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जरूरी है कि एससी/एसटी की तर्ज पर उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए ।